

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,

हिरन जल संसाधन, संभाग जबलपुर म0प्र0

E-Mail :- eehiranwrd09@yahoo.in

(Ph:-0761-2602441)

पत्र क्र. 1292 / व.ले.लि. / 2019

जबलपुर दिनांक: 24/5/2019

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन),
जन सम्पर्क संचालनालय,
जन सम्पर्क भवन परिसर,
बाणगंगा चौराहा, भोपाल


विषय:- विज्ञप्ति क्र. 01/2019-20 का प्रकाशन करने बावत। (प्रथम आमंत्रण)

संदर्भ:- अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल जबलपुर का पत्र क्र. 634/सा/2-1 का 17 दिनांक 08.04.2019

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत इस संभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल जबलपुर के अधीन हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर/जल संसाधन संभाग डिण्डौरी/कटनी/मण्डला हेतु किराये के वाहन हेतु संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन करने का अनुरोध है। यह विज्ञप्ति जबलपुर/डिण्डौरी/कटनी/मण्डला जिले के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाने का अनुरोध है।

सहपत्र:- विज्ञप्ति की 05 प्रतियाँ


(राम सुमन शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,

हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर


जबलपुर दिनांक: / / 2019

पृ. क्र. / व.ले.लि. / 2019

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
- 2- मुख्य अभियंता बैन गंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी।
- 3- अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र. 634/सा दिनांक 08.04.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
- 4- मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) प्रमुख अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
- 5- बेब मेनेजर, जल संसाधन विभाग, विश्व बैंक परियोजनाएँ, भोपाल। कृपया विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहपत्र:- विज्ञप्ति की 05 प्रतियाँ


(राम सुमन शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,

हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग



निविदा प्रपत्र

हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर / जल संसाधन
संभाग डिण्डौरी / कटनी / मण्डला हेतु मासिक एवं
दैनिक नॉन ए.सी. बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन किराये पर
लेने हेतु ।

कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

निविदा प्रपत्र

हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर / जल संसाधन संभाग
डिण्डौरी / कटनी / मण्डला हेतु मासिक एवं दैनिक नॉन ए.
सी बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु

- 1 उद्देश्य:- शासकीय कार्य हेतु वाहन किराये पर लिये जाने
बावत्।
2. धरोहर राशि:- रू. 10000/- प्रति वाहन
3. कार्य अवधि:- एक वर्ष
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य:- 100/- प्रति वाहन
5. वाहन मालिक का नाम एवं पता :-
6. मनी रिसिप्ट क्रमांक दिनांक

कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर (म0प्र0)

निविदा आमंत्रण सूचना
आई.डी. क.....

नि.आ.सू.क. 1 / व.ले.लि. / 2019

जबलपुर दिनांक

अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल जबलपुर के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों हेतु दर्शित संख्या अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वाहन किराये पर लिये जाने हैं, इच्छुक आवेदक अपना मुहरबंद प्रस्ताव दिनांक 11.06.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर में जमा कर सकते हैं।

विस्तृत विवरण जल संसाधन विभाग की वेबसाईट <http://www.mpwrđ.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

स. क.	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	वाहन का प्रकार	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	उद्देश्य जिसके लिए वाहन उपरोग किया जावेगा
1	कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर	04	नॉन ए.सी. बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन	रु. 10000/- मात्र (दस हजार मात्र) प्रति वाहन	रुपये 100/- प्रति प्रपत्र	01 वर्ष हेतु	शासकीय कार्य हेतु।
2	जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	04					
3	जल संसाधन संभाग कटनी	03					
4	जल संसाधन संभाग मण्डला	04					

निविदा की शर्तें:-

1. वाहन चालक, संधारण मरम्मत एवं अन्य सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किये जायेंगे।
2. वाहन के लिये डीजल निर्धारित मापदण्डानुसार विभाग द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
3. वाहन दो साल के अंदर क्रय किया होना चाहिये।
4. वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना चाहिये।
5. प्रत्येक वाहन का मॉडल सहित विवरण के साथ दर पृथक-पृथक अंकित करें।

6. निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में निविदा सूचना दिनांक से दिनांक 10.06.2019 तक अपराह्न 5.30 बजे (अवकाश दिनों को छोड़कर) तक विक्रय के लिये उपलब्ध रहेंगे।
7. मोहरबंद भाव पत्र दिनांक 11.06.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे।
8. मोहरबंद भाव पत्र दिनांक 11.06.2019 को अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित ट्रेवल एजेंसी अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में खोली जावेगी।
9. वाहनो से संबंधित विस्तृत विवरण/शर्तों एवं नियमों की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।



(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

पृ. क. 1293A / व.ले.लि. / 2019-20

जबलपुर दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग नर्मदा भवन तुलसी नगर भोपाल।
2. मुख्य अभियंता वैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर।
4. कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मंडला/निवास/डिण्डौरी/कटनी/ला.म.नलकूप एवं गेटस संभाग नरसिंहपुर।
5. आयुक्त जबलपुर
6. कलेक्टर जबलपुर
7. नोटिस बोर्ड।

की ओर सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार हेतु।



(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

**कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर**

मासिक दर पर किराये के वाहन हेतु निविदा की शर्तें

1.0 निविदा का मूल्य एवं विक्री :-

- 1.1 निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य का नगद भुगतान कर कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय से दिनांक 10.06.2019 तक किसी भी कार्यालयीन दिनांक एवं समय 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है अथवा जल संसाधन विभाग की वेबसाईट <http://www.mpwr.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
- 1.2 डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रू. 150/- (एक सौ पचास मात्र) का डाक व्यय अलग से देय होगा।
- 1.3 निविदा खोलने की तिथि को निविदा प्रपत्र की बिक्री नहीं की जावेगी एवं निविदा संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।
- 1.4 निविदा प्रतियोगिता में केवल वही व्यक्ति/संस्थाने भाग ले सकेंगे जो शासन द्वारा जारी काली सूची में सम्मिलित नहीं है तथा पूर्व में जिनकी धरोहर राशि दंड के फलस्वरूप जप्त न की गई हो।

2.0 मोहरबंद भाव पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है :-

1. लिफाफा-अ
2. लिफाफा-ब
3. घोषणा पत्र।
4. धरोहर राशि जैसा वर्णित किया गया है एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
5. वाहन/संस्था के पंजीयन की प्रति।
6. वाहन के कम्प्रेहेन्सिव बीमा पत्र।
7. रोड चकता प्रमाण पत्र।
8. पैन कार्ड।
9. जी.एस.टी. का पंजीयन।

3.0 निविदा की प्राप्ति एवं खोलना :-

- 3.1 पूर्ण रूप से भरी गई निविदाये दिनांक 11.06.2019 को 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।
- 3.2 निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- 3.3 अपूर्ण रूप से भरी निविदाओं एवं बिना धरोहर राशि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- 3.4 निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि निर्धारित स्वरूप के अतिरिक्त अन्य रूप से संलग्न करने पर निविदा अपूर्ण मानी जावेगी एवं उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

4.0 धरोहर राशि :-

- 4.1 निविदा के साथ निर्धारित प्रतिवाहन धरोहर राशि रू. 10000/- स्थानीय राष्ट्रीयकृत भोड़यूल बैंक के एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर. के रूप में कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के पक्ष में देय होगी। जिसे एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- 4.2 सफल निविदाकार की धरोहर राशि निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कर अनुबंध करने के पश्चात संपूर्ण निविदाकाल में सुरक्षा जमा के रूप में शासन के पास जमा रहेगी

- 4.3 असफल निविदाकारों की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी, परंतु द्वितीय न्यूनतम बोली लगाने वाले निविदाकार की धरोहर राशि अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद वापस की जावेगी।
- 4.4 निविदा स्वीकृति की सूचना के 10 दिवस के अंदर अनुबंध नहीं करने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।
- 5.0 निष्पादन सुरक्षा जमा :-
- 5.1 निष्पादन सुरक्षा जमा की राशि रु. 10000/- के रूप में राष्ट्रीयकृत शेड्यूल बैंक के एफ.डी. आर./एस.टी.आर. के रूप में कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के पक्ष में देय होगी।
- 5.2 निष्पादन सुरक्षा जमा संपूर्ण अवधि के लिये जल संसाधन संभाग जबलपुर के पास जमा रहेगा एवं कार्य समाप्ति पर निविदाकार को वापस कर दिया जावेगा।
- 5.3 निविदा अवधि में वाहनों की संख्या में वृद्धि होने पर तदनुसार निष्पादन सुरक्षा जमा की बढ़ी हुई राशि 15 दिवस के अंदर जमा करने होगी।
- 5.4 निर्धारित निष्पादन सुरक्षा जमा राशि, जमा नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकार से अनुबंध नहीं किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 6.0 अनुबंध की अवधि :-
- 6.1 अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक की होगी।
- 6.2 ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों/शासकीय नियमों/कर, प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
- 7.0 वाहन के संबंधित सामान्य शर्तें :-
- 7.1 शासन के द्वारा वाहन के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
- 7.2 प्रमुख अभियंता एवं शासन के आदेशों में कहीं विरोधाभास दृष्टिगत हो तो शासन के आदेश का पालन किया जायेगा।
- 7.3 (1) लकजरी वाहन नहीं हों।
(2) अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री बोलेरो अथवा समकक्ष अन्य उत्पादकों के वाहनों से वरिष्ठ श्रेणी का वाहन नहीं लगायेंगे।
- 7.4 विभाग के किसी भी प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी के दूर अथवा निकट का रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। यदि रिश्तेदार होना पाया गया है तो भुगतान किये गये किराये की दुगुनी राशि सिचाई राजस्व में उसी अधिकारी के वेतन से जमा करायी जावेगी तथा दंडित भी किया जावेगा।
- 7.5 टोल टैक्स, रोड टैक्स, आईल बदलना अन्य सभी स्थानीय राज्य शासन, केन्द्रीय शासन के टैक्स वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
- 7.6 वाहन इंश्योरेंस होना अनिवार्य होगा।
- 7.7 वाहन चालक किसी राजनीति दल का सदस्य नहीं होगा।
- 7.8 वाहन की अनुपलब्धता पर रु. दो हजार प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी।
- 7.9 वाहन अधिकारी के निवास स्थान पर ही रखा जावेगा।
- 7.10 वाहन चोरी होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7.11 यात्रा के दौरान खराब होने पर पांच हजार तक का आकस्मिक सुधार अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो किराये से कटौती योग्य होगा।
- 7.12 अधिकारी के निर्देश पर वाहन चालक तीन दिवस में बदलना होगा। किराये का वाहन किसी भी स्थिति में शासकीय अधिकारी अथवा शासकीय ड्राईवर द्वारा नहीं चलाया जावेगा।
- 7.13 वाहन का मेक अधिकतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिये एवं टेक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिये और वाहन कम्प्रीहेन्सिव बीमा होना अनिवार्य रहेगा।
- 7.14 प्राकृतिक गैस से चलित वाहन स्वीकार नहीं होगा। गैस किट लगे वाहन स्वीकार नहीं होंगे।

- 7.15 एक बार वाहन ड्यूटी में कार्यरत हुआ तो शासकीय सेवा में अग्रिम आदेश तक माना जावेगा। वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन रहेगा व इस अवधि हेतु वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 7.16 वाहन के रजिस्ट्रेशन / बीमा / रोड / टैक्स आदि शासकीय कर संबंधी तथा अन्य संबंधित कागजात आदिके विवरण की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी तथा मूल दस्तावेज हर समय वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।
- 7.17 वाहन प्रयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा तथा उसके कार्यों के आवश्यकतानुसार वाहन के सम्पूर्ण आवागमन का सत्यापन आदि भी संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 7.18 प्रश्नाधीन वाहन निरीक्षण वाहन के रूप में उपयोग में लावेंगे, जिसे नहरों के मार्गों सहित कच्चे पहुंच मार्गों पर भी चलाया जाना अपेक्षित है।
- 7.19 बंधक रखे वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं वाहन जप्त होने की दशा में निविदाकार दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।
- 7.20 विशेष परिस्थितियों में नियमों एवं भातों में शिथिलता का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
- 7.21 किसी भी निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- 7.22 वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात ही किया जावेगा।
- 7.23 निविदा में दर्शाये वाहन के प्रकार/वाहन की संख्या में कार्य की आवश्यकतानुसार कमी/अधिक्य हो सकता है इस हेतु निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 7.24 वाहन की प्रति 5000 (पांच हजार) कि.मी. अथवा 3 माह जो भी पहले हो, में सर्विसिंग वाहन मालिक को स्वयं के व्यय पर करवाना होगा।
- 7.25 टायर-ट्यूब एवं बैटरी का व्यय वाहन मालिक का होगा एवं इन्हें समय पर बदलना वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी।
- 7.26 वाहन सेवा असंतोषनक होने पर 8 दिन का नोटिस देकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
- 7.27 वाहन की यात्रा एवं मरम्मत वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी, जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।
- 7.28 वाहन के दौरे पर जाने के दौरान नाईट हाल्ट आदि के लिये पृथक से कोई राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

8.0 ईंधन एवं चालक सहित वाहनों के लिये विशेष :-


- 8.1 वाहन का माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।
- 8.2 ड्राइवर एवं वाहन संधारण एवं मरम्मत का व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा।
- 8.3 वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा। वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8.4 वाहन का किसी भी प्रकार का व्यय सुधरवाई, टूट-फूट, पंचर आदि का व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा।
- 8.5 प्रतिमाह न्यूनतम अनुबंधित किराया के अलावा न्यूनतम 11 कि.मी./लीटर की दर से ईंधन का भुगतान पृथक से किया जावेगा।
- 8.6 प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर वाहन मालिक अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा। जिसके लिये पृथक से कोई दावा मान्य नहीं होगा। प्रवास के दौरान वाहन उपयोग होने पर कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।
- 8.7 वाहन चालक के आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
- 8.8 वाहन चालक को विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी, लोगों (मोनोग्राम) एवं टोपी पहनना अनिवार्य होगा।
- 8.9 चालक की वर्दी लोगो एवं टोपी का व्यय वाहन मालिक का होगा एवं इस व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं की जावेगी।
- 8.10 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मान्य नहीं की जावेगी। इसमें वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा

आंदोलन से होने वाली क्षति के लिये भी वाहन मालिक ही जिम्मेदार होगा । वाहन के साथ वाहन चालक एवं यात्री बीमा प्रपत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा ।

- 8.11 वाहन चालक के पास कॉमर्शियल लायसेंस होना आवश्यक है । यदि कॉमर्शियल लायसेंस के अभाव में चालान आदि होता है तो विभाग जिम्मेदार नहीं माना जावेगा एवं इस स्थिति में यात्रा में व्यवधान की भरपाई वाहन मालिक को करनी होगी । इस स्थिति में 700/- रुपये प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी ।

9.0 कर, शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :-

- 9.1 वाहन का क्षेत्रीय परिवहन यातायात कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
9.2 वाहन चालक द्वारा बिना वर्दी एवं टोपी के ड्यूटी पर उपस्थित होने की दशा में प्रति वाहन रू. 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रतिदिन की दर से काटौती की जावेगी ।
9.3 नियमों/शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई शास्ती ठेकेदार को वापस नहीं की जावेगी ।
9.4 वाहन सेवा से संबंधित समस्त कर एवं शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्य कर, उपकर का भुगतान ठेकेदार द्वारा स्वयं किया जावेगा, विभाग की कोई इस संबंध में जवाबदारी नहीं होगी ।
9.5 शासन के नियमानुसार आवश्यक करों की कटौती देयक से की जावेगी ।
9.6 इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अधीक्षण यंत्री, जल ससांधन मण्डल जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
9.7 नियमों में परिवर्तन एवं शिथिलता का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
9.8 शासकीय कार्य हेतु अनुबंधित वाहनों के किराया भुगतानों पर आयकर अधिनियम 1961 की प्रचलित दर से कटौती की जावेगी ।


कार्यपालन यंत्री
हिरन जल ससांधन संभाग,
जबलपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग पचपेढी जबलपुर

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर/जल संसाधन संभाग डिण्डौरी/कटनी/मण्डला
हेतु बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु

प्रथम लिफाफा-अ

1. फर्म/संस्थ का नाम.....
(यदि साझा फर्म है तो पार्टनर डीड संलग्न करें)
2. फर्म/संस्था का पता.....
3. दूरभाष क्रमांक
कार्यालय.....
निवास
- फैक्स.....
मोबाईल.....
ई-मेल.....
4. फर्म/संस्था का GST हेतु पंजीयन क्रमांक.....
(पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
5. फर्म/संस्था का पैन (PAN) क्रमांक.....
(प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. फर्म/संस्था का वार्षिक टर्न ओवर.....
(गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं बैलेंस शीट संलग्न करें)
7. निविदा के साथ धरोहर के रूप में जमा की गई राशि का विवरण
एफडीआर क्रमांक.....
दिनांक.....
राशि.....
बैंक/शाखा का नाम.....
8. निविदाकार का घोषणा पत्र
(घोषणा-पत्र पूर्ण रूप से भरकर संलग्न किया जावे)

हस्ताक्षर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग पचपेढी जबलपुर

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर/जल संसाधन संभाग डिण्डौरी/कटनी/मण्डला
हेतु बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु

द्वितीय लिफाफा-ब

1. वाहन का प्रकार/नाम.....
2. वाहन का मॉडल क्रमांक/वर्ष.....
3. विभिन्न मॉडल हेतु प्रस्तावित दर.....

स0क0	कार्यालय का नाम	वाहनो की संख्या	वाहन का प्रकार/मेक	मासिक किराया/नान ए0सी0 रूपये प्रतिमाह	दैनिक किराया नॉन ए0सी0 रूपये प्रतिदिन

नोट:- पृथक-पृथक मॉडल/निर्माता कंपनी के वाहनो हेतु पृथक-पृथक पत्रक भरा जावें।

हस्ताक्षर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग पचपेढी जबलपुर

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर/जल संसाधन संभाग डिण्डौरी/कटनी/मण्डला
हेतु बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु

घोषणा पत्र

मैंपिता का नाम.....
.....फर्म/संस्था का नाम.....यह सत्य निश्ठा से
घोषणा करता हूँ कि निविदा फार्म लिफाफा-अ में क्रमांक 1 से 8 एवं लिफाफा-ब में
क्रमांक 1 से 3 में भरा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम
फर्म/संस्था का नाम